



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267980
CG-DL-E-26112025-267980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5261]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/अग्रहायण 5, 1947

No. 5261]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/AGRAHAYANA 5, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5442(अ).— केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई), पंचकुला' (पैन: AAAGT0008A) को, होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है :

- (क) केन्द्र सरकार और हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, असाइनमेंट और अंशदान।
- (ख) शुल्क, जैसे संबद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रवासन शुल्क, प्रतिलेखन शुल्क, आदि।
- (ग) रॉयल्टी और दंड सहित प्रभार।
- (घ) वसीयतें, दान और बंदोबस्ती या अन्य अंशदान।
- (ङ) एचएसबीटीई में निहित किसी भी प्रतिभूतियों की बिक्री आय और संपत्ति से किराया और लाभ।
- (च) बैंक जमा पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पंचकुला -
- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
 - (ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2028-2029 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 163/2025/फा. सं. 300196/76/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।